# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्याः– 272/2025

1. देवकरण पुत्र स्व0 झाबर मल, जाति जाट, निवासी, ग्राम देलसर कला, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं राज0।
2. ताराचन्द पुत्र स्व0 झाबर मल, जाति जाट, निवासी ग्राम देलसर, कलां, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ( भू0अ0 ) तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं, राज0।
2. नायब तहसीलदार, तहसील मुकुन्दगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

––

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील बखिलाफ नामान्तरकरण आदेश संख्या 409 दिनांक 19.07.2008 वाके ग्राम मैणास।

––

उपस्थितः–

1. श्री विक्रम दूलड, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित नहीं।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से उपस्थित।

## आदेश

**दिनांक 01.01.2026**

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार, नवलगढ के नामान्तरकरण आदेश संख्या 409 दिनांक 19.07.2008 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट्स की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार, नवलगढ द्वारा आलौच्य निर्णय नामान्तरकरण संख्या 409 दिनांक 19.07.2008 विरूद्व कानून व पत्रावली है। वाके ग्राम मैणास पटवार हल्का कुमावास भू0 अभि0 निवासी डूमरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि निम्न प्रकार अवस्थित हैः–

| हाल खसरा नं0 | क्षेत्रफल | गत खसरा नं0 | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|
| 13 | 2.17 है0 | 5 | 9 बीघा 5 बिश्वा |
| 439/18 | 0.14 है0 | 6 | 1 बीघा 5 बिश्वा |
| | | 7 | 1 बीघा 2 बिश्वा |
| | | 10/1 | 5 बीघा 10 बिश्वा |

कुल किता 2 कुल रकबा 2.31 है0

अपील की धारा 2 में वर्णित भूमि अपीलान्ट्स की पैत्रिक खातेदारी की भूमि है जो कब्जा काश्त होने पर कदीमी वक्तों से दफा 19 के तहत नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 13.12.1959 के द्वारा अपीलान्ट्स के पिता स्व0 झागर पुत्र किशनाराम के नाम दर्ज हुई है। अपील की धारा 2 में वर्णित भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट नं0 1 तहसीलदार नवलगढ़ के द्वारा इन्तकाल संख्या 409 दिनांक 19.07.2008 के द्वारा पुनर्वास विभाग की भूमि होना बताते हुए नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया जिसकी सूचना भी अपीलान्ट्स को नहीं दी गई जो अपीलान्ट्स के अधिकारों के विपरित होकर शुरू से ही शून्य होकर निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स की कब्जा काश्त की भूमि दफा 19 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी दिए जाने के उपरान्त किसी खातेदारों की खातेदारी समाप्त करने का अधिकार तहसीलदार नवलगढ़ को नहीं था। खातेदारी अधिकार

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

समाप्त करने के अधिकार सक्षम न्यायालय स्तर पर वाद सुनवाई विधि प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। अपीलान्ट की अपील की धारा 2 में वर्णित भूमि को निष्कान्त सम्पत्ति मानी जाती है तो प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स निष्कान्त सम्पत्ति की राशि जमा कराने को तैयार कर जो जमा की जाकर नामान्तरकरण संख्या 35, 37, 36, 39 की प्रविष्टि बहाल रखी जावे। अपील में वर्णित धारा 2 में वर्णित भूमि कस्टोडियन ( पुनर्वास ) प्रावधानों के तहत कार्यवाही श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय स्तर पर होनी चाही जानी थी जो नहीं की जाकर तहसीलदार नवलगढ़ ने कानूनी भूल की गई है जो शूरू से निष्प्रभावी है विधि विरुद्ध है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 409 दिनांक 19.07.2008 वाके ग्राम मैणास को निरस्त फरमाया जावे तथा तहसीलदार नवलगढ़ ( रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ) को आदेशित किया जावे कि वह अपील के पैरा नं0 2 में वर्णित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 82 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियां दुरूस्त फरमावे।

बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि अपीलान्ट्स की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार, नवलगढ द्वारा आलौच्य निर्णय नामान्तरकरण संख्या 409 दिनांक 19.07.2008 विरूद्व कानून व पत्रावली है। अपील की धारा 2 में वर्णित भूमि अपीलान्ट्स की पैत्रिक खातेदारी की भूमि है जो कब्जा काश्त होने पर कदीमी वक्तों से दफा 19 के तहत नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 13.12.1959 के द्वारा अपीलान्ट्स के पिता स्व0 झागर पुत्र किशनाराम के नाम दर्ज हुई है। अपील की धारा 2 में वर्णित भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट नं0 1 तहसीलदार नवलगढ़ के द्वारा इन्तकाल संख्या 409 दिनांक 19.07.2008 के द्वारा पुनर्वास विभाग की भूमि होना बताते हुए नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया जिसकी सूचना भी अपीलान्ट्स को नहीं दी गई जो अपीलान्ट्स के अधिकारों के विपरित होकर शुरू से ही शून्य होकर निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स की कब्जा काश्त की भूमि दफा 19 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी दिए जाने के उपरान्त किसी खातेदारों की खातेदारी समाप्त करने का अधिकार तहसीलदार नवलगढ़ को नहीं था। खातेदारी अधिकार समाप्त करने के अधिकार सक्षम न्यायालय स्तर पर वाद सुनवाई विधि प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। अपीलान्ट की अपील की धारा 2 में वर्णित भूमि को निष्कान्त सम्पत्ति मानी जाती है तो प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स निष्कान्त सम्पत्ति की राशि जमा कराने को तैयार कर जो जमा की जाकर नामान्तरकरण संख्या 35, 37, 36, 39 की प्रविष्टि बहाल रखी जावे। अपील में वर्णित धारा 2 में वर्णित भूमि कस्टोडियन ( पुनर्वास ) प्रावधानों के तहत कार्यवाही श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय स्तर पर होनी चाही जानी थी जो नहीं की जाकर तहसीलदार नवलगढ़ ने कानूनी भूल की गई है जो शूरू से निष्प्रभावी है विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 409 दिनांक 19.07.2008 वाके ग्राम मैणास को निरस्त फरमाया जावे तथा तहसीलदार नवलगढ़ ( रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ) को आदेशित किया जावे कि वह अपील के पैरा नं0 2 में वर्णित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 82 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियां दुरूस्त फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 5 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट अपील में प्रभावित पक्षकार नहीं है क्योंकि जिस आदेश को अपीलान्ट द्वारा चुनौती दी गई है उसमें अपीलान्ट की खातेदारी दर्ज नहीं है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का भी पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2008 विधिवत् रूप से पारित किया है। आदेश दिनांक 19.07.2008 द्वारा अदालत मातहत ने कस्डोडियन विभाग के नाम दर्ज भूमि का नामान्तकरण राजस्व विभाग के नाम नियमानुसार दर्ज किया गया है। अदालत मातहत के आदेश मे कोई अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता के बहस में अहम तर्क यह रहे कि अपीलान्ट अपील में प्रभावित पक्षकार नहीं है क्योंकि जिस आदेश को अपीलान्ट द्वारा चुनौती दी गई है उसमें अपीलान्ट की खातेदारी दर्ज नहीं है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का भी पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2008 विधिवत् रूप से पारित किया है। आदेश दिनांक 19.07.2008 द्वारा अदालत मातहत ने कस्डोडियन विभाग के नाम दर्ज भूमि का नामान्तकरण राजस्व विभाग के नाम नियमानुसार दर्ज किया गया है। अदालत मातहत के आदेश मे कोई अनियमितता नही है। प्रथम दृष्टया राजकीय अधिवक्ता के कथन उचित प्रतीत होते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। अपीलान्ट अपने हक व हकूकों के लिए सक्षम न्यायालय के लिए दावा पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ0 अरूण गर्ग )
जिला कलक्टर झुंझुनूं